न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री अशोक कुमार त्यागी **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 26/2012 निर्णय दिनांक :– 25.06.19

उनवानी दावा :

1. सगीर हुसैन पुत्र री नसीर खां जाति मुसलमान निवासी दौलता मोड़ माधोसिंहपुरा तह. देवली (टोंक)

1/1. फजलइलाही पुत्र सगीर हुसैन आयु 35 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. चांदपोल, जयपुर तह. व जिला जयपुर

1/2. शकीला पुत्री सगीर हुसैन आयु 52 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. नयाबास चुरू तह. व जिला चुरू

1/3. पेमिदा पत्नी सगीर हुसैन आयु 48 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. चांदपोल, जयपुर तह. व जिला जयपुर

1/4. शबनम पुत्री सगीर हुसैन आयु 46 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. चांदपोल, जयपुर तह. व जिला जयपुर

1/5. सुफिया पुत्री सगीर हुसैन आयु 43 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. चांदपोल, जयपुर तह. व जिला जयपुर

1/6. हसीना पत्नी सगीर हुसैन आयु 41 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. चांदपोल, जयपुर तह. व जिला जयपुर

–वादीगण–

बनाम

1. गुलाम नबी पुत्र मुनीर खां जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा तह. देवली जिला टोंक हाल नि. जयपुर
2. शोकत अली पुत्र मोहम्मद युसुफ खां निवासी देवली तह. देवली
3. तहसीलदार देवली
4. श्रीमती जमीला बेगम बेवा मोहम्मद युसुफ मुसलमान निवास देवली तह. देवली(टोंक)

– प्रतिवादीगण –

उपस्थितिः–
श्री प्रेम चन्द जैन
अधिवक्ता वादीगण

श्री विरेन्द्र जैन
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4

दावा उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज विभाजन स्थायी निषेधाज्ञा,

:: निर्णय ::

उक्त वाद मान. न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 14.9.11 के प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 9 सी. पी. सी. बाबत

प्रस्तुत अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पत्रावली न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि दावे को पुनः सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु मिसल प्राप्त होने पर दर्ज रजि. की जाकर सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभयपक्ष को सूचित कराया गया है। प्रकरण में वाद के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि वादी नम्बर 1 व 2 के पिता तथा 3 व 5 के दादा तथा 6 के परदादा स्व0 नसीर खां पुत्र अली खां एवं उसकी पत्नि स्व0 संय्या पत्नि नसीर खां जाति मुसलमान निवासी दोलता ने प्रतिवादी संख्या 1 से उसकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2/2 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील देवली को जरिये दो अलग–अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों दिनांक 19.06.72 को क्रय की थी। जिसका पंजीयन प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 25.06.72 को तहसीलदार देवली के समक्ष क्रेतागण के पक्ष में करा दिया था और इस एवज में सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त कर उक्त भूमि का कब्जा मौके पर उसी दिन सम्भला दिया था। जबसे क्रेतागण स्व0 नसीर खां व उसकी पत्नि संय्या तथा उनके बाद उनके वारिसान वादीगण का बतौर खातेदार काश्तकार उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार वादीगण बोना फाइड प्रचेजर है और खातेदार के हिस्से से काबिज हैं। उक्त भूमि में से नसीर खा ने 10 बीघा व उसकी पत्नि स्व0 संय्या पत्नि नसीर खां ने 5 बीघा दोनो ने कुल मिलाकर 15 बीघा भूमि को प्रतिवादी नं. 1 से क्रय किया था। जिसका पंजीयन प्रतिवादी 1 ने क्रेतागण के पक्ष में पंजीयन करवाया था। दोनो क्रेतागण का देहांत हो गया है और अब उनके वारिसान को उक्त सम्पत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त है। दोनो विक्रय पत्रों का आज तक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नही हुआ है परन्तु वादीगण का विवादित भूमि पर खरीद की तिथि से आज तक मौके पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण को उक्त भूमि के सम्बंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक भी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ 12 वर्ष से अधिक कब्जे काश्त होने के आधार पर स्वतः खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है और प्रतिवादीगण के अधिकार समाप्त हो चुके है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2/2 के हाल खसरा नम्बर 20 रकबा 3.78 है0 बनाये गये है। तहसील देवली के सेटलमेन्ट सम्वत् 2046 में उक्त भूमि को वादीगण के पक्ष में खातेदारी में अंकित करने के स्थान पर पुनः प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई जो कि त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त त्रुटीपर्ण

इन्द्राज को निरस्त किया जाना चाहिए। भू प्रबंध ने खसरा नम्बर 20 रकबा 3.78 है0 भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम गैर खातेदारी में अंकित कर दिया गया, यह गैर खातेदारी का अंकन भी त्रुटीपूर्ण है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1, 1972 में ही रिकार्डडेड खातेदार था। भूप्रबंध के बाद गैर खातेदारी में दर्ज होने से उक्त आराजी का अमल वादीगण के पक्ष में नही किया गया जबकि विवादित भूमि प्रतिवादीगण प्रतिवादी 1 खातेदार से खरीदी गई और खरीद के समय प्रतिवादी 1 गैर खातेदार नही था। प्रतिवादी नं. 1 का उक्त भूमि में किसी प्रकार का सम्बन्ध ना होते हुए भी उसके द्वारा बिना किसी अधिकार के वादीगण के हितो के साथ कुठाराघात करने की संभावना उत्पन्न हो गई है जिससे वादीगण को अपार अकथनीय क्षति हो सकती है। जिसकी क्षति पूर्ति वादीगण के लिये किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगी। प्रतिवादी नम्बर 1 का अब कोई अधिकार कानूनी रूप से शेष नही रहने के बावजुद केवल मात्र राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी में दर्ज होने से उसकी नियत में बेईमानी आ गई और वादीगण को अपने अधिकारो से वंचित करने व कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप करने की व भूमि का गलत रूप से अन्तरण करने की एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने की धमकी देने लगा है जबकि वादीगण उक्त भूमि के खरीद की तिथी से हकदार व मालिक हो चुके है एवं खातेदारी की हैसियत से मालिक है। प्रंतिवादी नं. 1 को स्व. नसीर एवं संया के हक में गये विक्रय पत्र के आधार पर किसी प्रकार को क्लेम या अधिकार भूमि में नही है। उक्त विवादित भूमि में से 2 बीघा 15 बीस्वा भूमि के सम्बंध में मोहम्मद युसूफ ने प्रतिवादी संख्या 1 व स्व0 नसीर व संय्या के विरूद्ध सिविल न्यायालय टोंक में प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा किये गये अनुबंध बताकर उसके आधार पर 1 दावा बाबत् मुआयदापुर्ति का 1972 में पेश किया जिसमें उक्त भूमि को मोहम्मद युसुफ के पक्ष में दिनांक 21.04.72 को 3500/– रूपये में विक्रय करने का इकरार बताकर एवं उसके रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने मोहम्मद युसुफ के हक में विक्रय पत्र पंजीयन कराने के बजाय 19.06.72 को स्व0 नसीर खां व संय्या के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीयन करा दिया। उक्त दावा दिनांक 12.09.78 को गुणावगुण के आधार पर खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील भी जिला न्यायाधीश टोंक ने 30.05.88 को खारिज कर दी।

अतः वादीगण उक्त भूमि को अपने खातेदारी में अंकित करवाने के उत्तराधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये

जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत न करने और भूमि का हस्तानान्तरण ना करने के लिये प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

प्रतिवादी नं. 2 ने विवादित भूमि को हड़पने के उद्देश्य से साजिश एव षडयन्त्र बनाकर प्रतिवादी नम्बर 1 को मृतक बताकर सहायक कलेक्टर देवली के समक्ष झूंठा फर्जी शथपत्र प्रस्तुत करे हुए गुलाम नबी की मृत्यु दिनांक 12.08.80 को चुकी है, बता कर प्रमाण पत्र मृत्यु का जारी करवा लिया है। उक्त दस्तावेज फर्जी एवं जाली है। नगर पालिका व न्यायालय को धोखे में रखकर प्रतितवादी नम्बर 1 की जमीनो को हड़पने के लिए आपराधिक कृत्य किया है जिसके सम्बन्ध में सिविल न्यायाधीश क0 ख0 एवं न्यायायिक मजिस्टेट देवली के समक्ष एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 469, 471 आई पी सी में दर्ज किया हुआ है जो न्यायालय में जांच के लिये सम्बंधित पुलिस थाने में प्रेषित कर दिया है। प्रतिवादी नं. 2 को प्रस्तुत वाद में वादीगण ने लिए पक्षकार बनाया है कि वह विवादित भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के अधिकारो को चुनौती देने लग गया है और वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं. 1 के स्थान पर स्वयं का नाम अंकित करवाने एवं भूमि का अन्तरण करने पर आमादा है जाबकि उसको कोई कानूनी अधिकार नही हैं जिसके विरूद्ध भी हमेशा हमेशा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जानी चाहिये।

प्रतिवादी नं. 1 द्वारा एक बार सन् 1972 में वादीगण के पूर्वज नसीर खां व मु0 सय्या पत्नी नसीर खा के पक्ष में विवादित भूमि का बेचान जरिये रजि0 विक्रय पत्र द्वारा किया जाकर कब्जा संभला दिया गया था तब से आज तक वादीगण मौके पर काबिज चले आ रहे है एवं प्रतिवादी नं. 1 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (7) के मुताबिक खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। उक्त भूमि का प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा जरिये विक्रय पत्र रजिस्ट्रड करने के बावजूद बैचान करने से प्रतिवादी नम्बर 1 के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है तो प्रतिवादी नम्बर 1 को दोबारा श्रीमति जमीला बेगम के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीयन कराने का अधिकार ही नही था दिनांक 17.08.2001 को प्रतिवादी नम्बर 1 की खातेदार की हेसियत नही थी। जिससे दिनाक 17.02.2001 को किया गया विक्रय पत्र एवं उसके

आधार पर नामान्तकरण वादीगण के हितो कें विरूद्ध होने से प्रभाव शुन्य एवं नल एवं वॉइड घोषित किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने वाद के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए बताया कि विवादित आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है, ना ही उक्त आराजीयात की खातेदारी में है। विवादित आराजीयात को वादीगण एवं उनके पूर्वजो नसीर खां व संय्या ने 1972 में खरीद नही की है यदि खरीद की गई होती तो वादीगण के पूर्वज उक्त आराजीयात अपने नाम नामांतकरण करवा लेते तथा उक्त आराजीयात पर अब तक अपना नाम खातेदारी करवा लेते तथा विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी न0 4 का बतोर खातेदार कब्जा काश्त है। मौके पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नही है बल्कि प्रतिवादी न0 4 का बतौर खरीदार व खातेदार होने के कारण कब्जा काश्त है। वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नही है इसलिये वादीगण इस चरण में वर्णित आधार पर काश्तकार खातेदार नही हो सकते। यदि वादीगण का विवादित ख0न0 20 रकबा 3.78 है0 पर कब्जा काश्त होता तो सम्वत् 2046 में सेटलमेंट के साथ वादीगण उस समय अपने नाम नामान्तकरण करवा लेते। प्रतिवादी न0 1 का विवादित जमीन का कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकार था। प्रतिवादी न0 1 ने उक्त विवादित आराजीयात ख0न0 20 रकबा 3.78 है0 दिनांक 17.08.2001 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी न0 4 को बेचान कर विवादित आराजीयात पर तमाम स्वत्व अधिकार कब्जा व मालिकाना हक आदि संभला कर सब रजिस्ट्रार के यहां बेचान पत्र विक्रय पंजीयन करवा दिया था तभी से विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी न0 4 का कब्जा व खातेदारी अधिकार है। वादीगण उक्त भूमि को अपने नाम खातेदारी कराने के अधिकारी नही है और न ही राजस्व रिकार्ड का दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त नही होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

अतिरिक्त कथनः—विवादित खसरा नम्बर 20 रकबा 3.78 है0 प्रतिवादी न0 1 की खातेदारी एवं राजस्व रिकार्ड की जमीन है जिस पर कभी भी वादीगण का कब्जा काश्त नही रहा और न ही स्व0 नसीर खां एवं संय्या पत्नि स्व0 नसीर का कब्जा काश्त रहा बल्कि उक्त आराजीयात दिनांक 17.08.2001 को प्रतिवादी न0 1 ने प्रतिवादी न0 4 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान करने के पश्चात् से उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी न0 4 के नाम खातेदारी नामान्तकरण भी भरा चुका है। जिला कलेक्टर टोंक आवश्यक पक्षकार है

इसलिए वाद खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात स्व. नसीर खां व उसकी पत्नी संय्या ने सन् 72 में खरीद की होती तो कभी का उनके नाम या उनके वारिसों वादीगण के नाम खातेदारी लग जाती तथा इतने सालो से नामांतकरण नहीं खुलने से ही स्पष्ट है कि वादीगण एवं उनके पूर्वजो का उक्त आराजी पर कोई हक व अ धिकार नहीं था । प्रतिवादी नं. 4 के हके में उक्त आराजीयात का नियमानुसार नामांतकरण भरा जा चुका है जिसकी वादीगण द्वारा कोई अपील नही की गई है और नही वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं. 4 के हक में उक्त आराजीयात का नियमानुसार नामांतकरण भरा जा चुका है जिसकी वादीगण द्वारा कोई अपील नही की गई है और न ही वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं. 4 के हक में किये गये रजिस्टर्ड बेचान को किसी सिविल न्यायालय में चेलेंज किया गया हैं इसलिये उक्त वाद खारिज किये जाने येाग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादगण का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तनकियात कायम की जाकेर साक्ष्यवादी पक्ष हेतु आगामी दिनांक नियत की गई। बाद पत्रावली में अधिवक्ता वादीपक्ष द्वारा बयान पी. डब्ल्यू–1 से 4 कराये जाकर बाद जिरह साक्ष्यवादी समाप्ति पर अधिवक्ता प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु अवसर दिये गये। अधिवक्ता प्रतिवावदी ने साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू–1 सें 4 तक पेश किये। बाद जिरह साक्ष्य प्रतिपक्ष समाप्ति पर पत्रावली बहस में नियत की जाकर आगामी तारीख पेश की गई । अधिवक्ता उभयपक्ष ने वास्ते बहस बार–बार अवसर चाहने पर न्यायहित में समुचित अवसर दिये गये। नियत दिनांक को अधिवक्ता उभयपक्ष से बहस सुनी गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई,

वादी के विद्वान अधिवपक्ता श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रदर्श 1 व 2 की ओर ध्यान आकृष्ट कर अवगत करवाया कि जमाबन्दी ग्राम गोपीपुरा संम्वत 2023–26 की ओर ध्यान आकृष्ट कर बताया कि ख. नं. 2/1 रककबा 15 बीघा की खातेदारी गुलामनबी पुत्री मुनीर खां के नाम दर्ज हो गई। एवं खसरा गिरदावरी संम्वत 2020 के ख. नं. 2/2 में मिल्कियत सरकार से गुलाम नबी पुत्र श्री मुनीर खां के आवंटन एवं खसरा गिरदावरी में चना व ज्वार दर्ज करते हुए आवंटी मुनीर खां का कब्जा बताया गया। वाद अधिवक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि साबिक ख. नं. 2 एक बड़ा नम्बर था जिसमें से विभिन्न भूमिहीन कृषको के साथ गुलामनबी पुत्र श्री मुनीर खां को भी जमीन का अवंटन किया गया। तदनुरूप ही उसके खातेदारी

अधिकार कब्जा काश्त के आधार पर दिये गये है। उसी दौरान तहसील देवली में सेटलमेन्ट की कार्यवाही जैरकार होने से उक्त ख. नं. 2 मिन के अन्य ख. नं. के अतिरिक्त आवंटी श्री गुलाम नबी को आवंटित कब्जा शुदा 2 मिन का हाल ख. नलं. 20 रकबा 3.78 है0 कायम किये, किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नये ख. नं. 20 रकबा 3.78 है0 ग्राम गोपीपुरा को गुलाम नबी पुत्र श्री मुनीर खां कौम मुसलमान की पूर्व खातेदारी के अनुसार ही खातेदार दर्ज करना चाहिए था लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उसे गैर खातेदार दर्ज किया गया प्रदर्श–7 सम्वत 2053–56 प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 63 की 7 के मुताबिक खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। तब प्रतिवाद नं. 1 द्वारा पुनः श्रीमती जमीला बेगम के पक्ष में दिनांक 17.08.01 विक्रय पत्र पंजीयन का अधिकार ही नही था क्योंकि उक्त दिनांक 17.08.01 प्रतिवादी नं. 1 गुलाम नबी पुत्र मुनीर खां के खातेदारी अधिकार पूर्व में ही विवादित जमीन को 19.06.72 को वादीयान को विक्रय कर दस्तावेज पंजियन कराने से समाप्त हो चुके थे। इस प्रकार दिनांक 17.08.01 करे प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रतिवादी नं. 4 श्रीमती जमीला बेगम के पक्ष में किया गया पंजीबद्ध दस्तावेज एवं उसके उपरान्त नामान्तकरण संख्या 69 ग्राम गोपीपुरा वादीगण के हितो के विरूद्ध प्रारम्भतः शून्य एवं एबेशियो वोइड है।

विद्वान प्रतिवादी अधिवक्ता विरेन्द्र जैन द्वारा अपनी बहस में वादी द्वारा कराए गए रजिस्टर्ड बेयनामे को नुमाईशी बताया गया, साथ ही वादी का विवादित आराजी पर किसी प्रकार कब्जा नही होना बताया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया बताया कि वादी ने उक्त नुमाईशी बेय़नामे दस्तावेज के आधार पर उक्त आराजी खसरा नम्बर 2/1 के बेचान का नामान्तकरण भी कराने का प्रयास किया था। नामान्तकरण पंजिका गोपीपुरा जिसमें नामान्तकरण क्रमांक 173 को तत्समय नायाब तहसीलदार द्वारा भू0अ0नि0 की इस रिपोर्ट के आधार पर क्रेता का क्रय की गई आराजी पर कब्जा काश्त नही है। नामान्तकरण खारिज किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त नुमाईशी बेयनामें के आधार पर वादी क्रेता का या उसके पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त नही रहा है, साथ ही प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सेटलमेन्ट के बाद की जमाबंदी सम्वत् 2053–2056 प्रदर्श–9 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जिसका खसरा नम्बर 20 रकबा 3.78 है0 ग्राम गोपीपुरा श्री गुलाम नबी पुत्र मुनीर खां का पनवाड की गैर–खातेदारी में दर्ज है। साथी जमाबंदी

2030–2033 में भी ग्राम गोपीपुरा में खसरा नम्बर 2/1 श्री गुलाम नबी पुत्र मुनीर खा कौम मुसलमान की खातेदारी में दर्ज होने का उल्लेख नही है। इस प्रकार उपरोक्त वादी नुमाईशी बेयनामे तत्समय विक्रता गुलाम नबी पुत्र मुनीर खां द्वारा गैर–खातेदारी के रूप में पंजीबद्ध करावाये गये है, जबकि गैर–खातेदार का बैचान नही हो सकता, साथ ही वादी का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा है जिसके लिए प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा गिरदावरी संम्वत 2031–34 ग्राम गोपीपुरा पेश की गई जिसमें ख. नं. 2/1 रकबा 15 बीघा के कॉलम संख्या 24 अधिकार व आधिपत्य में संम्वत 2032 में मौहम्मद युसुफ पुत्र नबे खां कौम मुसलमान संवत 2032 –33 के नाम दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि वाद का आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवाद अधिवक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रतिवादी (23.9.19) द्वारा नामांतकरण पंजीका ग्राम गोपीपुरा पटवार हल्का पनवाड़ की प्रतियां पेश की जिसमें नामान्तकरण संख्या 71 द्वारा ख. सं. 24 व 25 मं दिनांक 30.10.01 को खातेदार सगीर हुसैन पुत्र जाहिदा बेगम पुत्र नसीर खां हिस्सा 2/3 तहरीर हुसैन, अकील अहमद, फारूक अली पुत्र नसीर का हिस्सा 1/3 जाति मुसलमान की खातेदारी की आराजी को विक्रय पत्र के आधार पर शिवलाल पुत्र सुखा मीणा के नाम नामांतकरण स्वीकार हुआ है एवं नामांतकरण संख्या 69 द्वारा ग्राम गोपीपुरा के खसरा संख्या 20 रकबा 3.78 है0 का विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय खातेदार गुलाम नबी पुत्र मुनरी खां के स्थान पर श्रीमती जमिला बेगम बेवा मोहम्मद युसूफ के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया है। प्रतिवादी द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031–34 भी प्रस्तुत की गई है। जिसमें ग्राम पनवाड के खसरा नम्बर 2/1 रकबा 15 बीघा के कॉलम संख्या 6 मे कृषक के रूप में सम्वत् 2032–33 में मोहम्मद युसूफ पुत्र नन्ने खां कोम मुसलमान का उल्लेख है जबकि सम्वत् 2034 में मो0 युसूफ पुत्र बन्ने खां नाम दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि वादी का उक्त आराजी पर कभी कब्जे काश्त नही रहा है।

विद्धान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण अवगत करवाया गया है कि प्रतिवादी संख्या श्रीमती संख्या 4 श्रीमती जमिला बेगम बेवा मो0 युसूफ द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 गुलाम नबी पुत्र मुनीर से ग्राम गोपीपुरा में खसरा नम्बर 20 रकबा 3.78 है0 दिनांक 17.08.2001 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर 300000/– रू0 में खरीद लिया है एवं उसका

नामान्तकरण गोपीपुरा में नामान्तकरण पंजिका में नामान्तकरण संख्या 69 द्वारा किया जाकर स्वीकार किया गया है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 बोनाफाईड क्रेता होने से एवं ततसमय से उक्त आराजी पर कब्जा काश्त होने से खातेदार काश्तकार है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा रीब्टल बहस मे बताया गया कि वादी द्वारा बोना फाइड पर्चेजर के रूप में ही उक्त आराजी को 19.06.72 को क्रय किया गया था एवं पंजीबद्ध दस्तावेज पर अंकित नोट से अवगत कराया है कि ततसमय ही विक्रेता श्री गुलाम नबी प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को विवादित आराजी का कब्जा सम्भलाया था और तभी से ही वादीगण का विवादित आराजी पर कब्शा काश्त है। इस प्रकार वादी 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त होने के आधार पर भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुका है। वादी अधिवक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वादी द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण संख्या 173 भरा गया था। जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वर्णित आराजी क्रय किए जाने के समय खातेदारी में थी न कि गैर खातेदारी में जैसा कि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वर्णन किया गया है। पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर दर्ज नामान्त्करण को कब्जा न होने के आधार पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से खारिज किया गया है जो राजस्थान काश्तारी अधिनियम के प्रतिकूल है।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी नम्बर 4 के सद्भावी क्रेता होने पर भी प्रश्न चिन्ह् लगया गया है जिसके सम्बंध में वादी अधिवक्ता द्वारा वादी संख्या 4 के पति मो युसूफ के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 श्री गुलाम नबी व वादी स्व0 नसीर की सिविल न्यायालय टोंक में दर्ज करवाये गये स्पेसीफिक परफोरमेन्स को मो युसूफ द्वारा दावे को जो 1972 में माननीय मुंसीफ कोर्ट में दर्ज कराया गया था प्रस्तुत किया जिसमें विवादित भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा मो युसूफ के पक्ष में दिनांक 21.04.72 को 3500 रू0 में विक्रय करने का इकरार करने का बताकर एवं उसके रहते हुए प्रतिवादी नम्बर 1 ने इकरारकर्ता मो0 युसूफ के हक में विक्रय पत्र पंजीयन कराने के बजाय दिनांक 19.06.72 को स्व0 नसीर खां एवं संया को विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया गया। उक्त वाद में मो युसूफ ने न्यायालय से प्रार्थना की की विवादित भूमि का पंजीयन इकरार नामे के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1 को उसके पक्ष में दावा डिक्री

किया जावें। उक्त दावा सिविल न्यायालय टोंक द्वारा 12.09.78 को गुणावगुण के आधार पर खारिज किया गया जिसकी अपील मो0 युसूफ द्वारा माननीय न्यायालय टोंक के यहां की गई जिसे भी माननीय न्यायालय टोंक ने 30.05.88 को खारिज किया। माननीय व जिलाधीश टोंक ने अपने स्पष्ट मत प्रकट किया कि स्व0 नसीर एवं स्व0 संध्या को बोनाफाइड प्रर्चेजर माना गया है इसलिए स्पेसीफिक परफोरमन्स का दावा प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के विरूद्ध चलने योग्य नही है। न्यायालय जिलाधीश टोंक ने एग्रीमेन्ट को प्रमाणित माना ह जिसमें 3000 रू उक्त वाद में वादी श्री मो युसूफ द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 गुलाम नबी को अदा किए थे। इसलिए गुलाम नबी के खिलाफ 3000 रू की डिक्री डेमेज के रूप में पारित की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी को प्रतिवादी नम्बर 1 व 4 को पूर्ण जानकारी थी कि वर्णित आराजी पूर्व में ही प्रतिवादी नम्बर 1 गुलाम नबी द्वारा वादीयान को पंजीबद्ध दस्तावेज के माध्यम से विक्रय की जा चुकी है एव प्रतिवादी नम्बर 1 गुलाम नबी की खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी नमबर 4 श्रीमती जमीला बेगम को पुनः 17.08.2001 को वर्णित आराजी को बेचान किया है जो प्रारम्भतः शून्य है। वादी अधिवक्ता द्वारा आर.बी.जे. 1995 (2) काना पिता सुवा बनाम बंशीलाल प्रस्तुत की गई। जिसके आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करने की कार्यवाही का कोई सीमाकाल नही है। पंजीबद्ध दस्तावेज में विक्रय की राशि विक्रेता द्वारा क्रेता से प्राप्त करना एवं उपपजीयक के समक्ष उक्त आराजी का कब्जा क्रेता को सम्भलाया जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

उभयपक्ष की बहस को दृष्टिगत रखते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है जो निम्नानुसार है।

1. आया वादीपक्ष ग्राम गोपीपुरा तहसील देवली में स्थित आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 3.7 है0 की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने के हकदार है, और काबिज काश्त चले आ रहे है ? –वादीपक्ष–

इस तनकी को साबित करने के लिए वादी अधिवक्ता द्वारा जोर दिया गया कि वादी ने ग्राम गोपीपुरा के खसरा नम्बर 2/2 रकबा 15 बीघा आराजी को प्रतिवादीगण गुलाम नबी पुत्र मुनीर खां से 19.06.72 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी। उसी समय विक्रेता द्वारा क्रेता

को विवादित का कब्जा सम्भलाया गया था जिसका नोट रजिस्ट्री पर भी अंकित है। तब से ही वादी का कब्जा काश्त विवादित आराजीयात पर है। विवादित आराजी बेचान के 1972 में विक्रेता की खातेदारी मे भी जैसा की जमाबंदी सम्वत् 2023–26 स्पष्ट है कि उक्त पंजीबद्ध दस्तावेजो के आधार पर हो नामान्तकरण 173 भरा गया था जिसे गैर कानूनी रूप से कब्जा न होने के आधार पर राजस्व अधिकारियों द्वारा खारिज किया गया। जबकि पंजीबद्ध दस्तावेज में क्रेता को कब्जा सम्भलाया जाने का स्पष्ट उल्लेख है। विवादित खातेदारी आराजी को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था। किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा कानून की मंशा के विरूद्ध विक्रेता प्रतिवादी के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज किया । सेटलमेन्ट की इस भूल का फायदा उठाकर विक्रेता प्रतिवादी ने पुनः विवादित आराजी का बेचान 30.10.2001 को क्रेता प्रतिवादी सख्या 4 जमीला बेगम बेवा मु0 युसूफ को कर दिया जिसके आधार पर प्रतिवादी के नामान्तकरण संख्या 69 गोपीपुरा से वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 3.78 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह वर्तमान खसरा नम्बर 20 पूर्व खसरा नम्बर 2/1 से बना है। जिसका बेचान पूर्व में प्रतिवादी संख्या द्वारा वादी को किया गया केवल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही होने के कारण ही प्रतिवादी संख्या एक ने पुनः प्रतिवादी संख्या 4 को बेचान किया है जो कि प्रारम्भतः शून्य एवं वोइड हैं प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार पूर्व बेचान करने से पहले ही समाप्त हो चुके है। जानबूझकर पहले एग्रीमेन्ट टू सेल व वाद में वादी विक्रय पत्र से आराजी अपने नाम कराकर न्याय को तोड–मरोड़ किया है। एग्रीमेन्ट टू सेल के प्रकरण में माननीय जिलाधीश टोंक द्वारा भी वादी को किए गए पूर्व बेचान को सही माना गया है। अतः वादी 1972 से हुए सद्भावी क्रेता होने से खातेदार काश्तकार होने के अधिकारी है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा गैर खातेदारी से बेचान एवं वादी का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं होने के आधार पर वाद खारिज करने एवं 17.08.2001 को प्रतिवादी संख्या 4 का पंजीबद्ध दस्तावेज से क्रय करने एवं तद्रूप नामान्तकरण संख्या 69 रजि0 रिकार्ड मे अमल दरामद प्रतिवादी संख्या 4 के नाम होने से वाद खारिज करने का आग्रह किया है। वादी द्वारा 19.06.72 को विवादित आराजी को पंजीबद्ध दस्तावेज से खरीदने एवं दस्तावेज मे कब्जा क्रेता को सम्भलाने से एवं साथ ही माननीय न्यायालय जिलाधीश टोंक के निर्णय के आधार पर वादी तनकी 1 को साबित करता है प्रतिवादीगण संख्या 4 को प्रतिवादी 1 के विवादित आराजी के पूर्व बेचान के आधार पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने के बाद भी सेल टू एग्रीमेन्ट करना एवं स्पेशिक परफोर्मेन्स के केस में माननीय जिलाधीश टोंक में उसके विरूद्ध निर्णय होने के बाद भी जानबूझकर 17.08.2001 को

प्रतिवादी संख्या 1 से प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दस्तावेज पंजियन करराकर रिकार्ड में अमल दारमद कराया गया है जो प्रारम्भतः शून्य है। प्रतिवादी द्वारा यह भी सिद्ध नही किया गया है कि वादी के क्रय करते समय विवादित आराजी गैर खातेदारी मे थी। जबकि वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध किया गया है कि 1972 वादी के क्रय करते समय विवादित आराजी खातेदारी में थी जिसे बाद में सेटलमेन्ट द्वारा गैर खातेदारी में दर्ज किया गया जहां तक नामान्तकरण खारिज करने का प्रश्न है। यह एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे टाइटल का निर्धारण नही होता है। अतः तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध वादी के पक्ष में निर्मित की जाती है।

2. **आया वादीगण प्रति. 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंध करवाने की अधिकारिता रखते है।**

–वादीपक्ष–

3. **आया वादीगण प्रार्थी 1 द्वारा किया गया विक्रय पत्र दिनांक 17.08.2001 को इस विक्रय पत्र के आधार पर हुए नामान्तकरण वादीगण के हितों के विरूद्ध प्रभाव शुन्य घोषित करवाने के हकदार है।**

–वादीगण–

वादी ने विवादित आराजी 19.06.72 को विक्रय पक्ष के आधार पर क्रय की है। उसके बाद प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा पुनः 17.08.2001 को प्रतिवादी संख्या 4 को पुनः विक्रय पत्र कें आधार पर बेचान किया है। जब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्व में ही बेचान कि द्वारा अपने खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके थे तो पुनः बेचान प्रारम्भ शून्य एवं वोइड होने से तनकियात संख्या 2 व 3 वादी के पक्ष एवं प्रतिवादी के के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

4. **आया प्रतिवादी संख्या 4 विवादित आराजी पर काबिज काश्त व बतौर खातेदार विधिकरूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड है?**

–प्रतिवादी 4–

5. **आया प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण संदर्भित नामान्तकरण की अपील नही करने, रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र को सिविल कोर्ट से चैलेंज नही करने से दावा न्यायोचित नही है?**

–प्रतिवादी 4–

तनकी 4 और 5

तनकी संख्या 4 व 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था जिसके लिए उसके द्वारा दिनांक 17.08.01 को प्रतिवादी संख्या 1 से पंजीबद्ध दस्तावेज के माध्यम से आराजी को क्रय करना एवं उसके आधार पर रिकार्ड में अमल दरामद कर वर्तमान रिकार्ड में खातेदार काश्तकार होने व कब्जा काश्त होने से उसे आराजी पर प्लाट काटने एवं निर्माण सामग्री डालने का पूर्ण अधिकार है। जब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 19'.06.72 को आराजी खसरा नम्बर 2/2 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 20 बना है। पूर्व में ही बेचान वादी को कर अपने खातेदारी अधिकार समाप्त कर लिए थे तब पुनः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को 17.08.2001 को दस्तावेज पंजीयन कराना प्रारम्भतः शून्य होने से उसके आधार पर रिकार्ड में अमल दरामद .भी टिनेन्सी एक्ट प्रावधानों के विपरित होने से तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

6. **आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 4 को वादग्रस्त आराजी पर प्लाट काटने, निर्माण सामग्री आदि डलवाने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंध करवाने के हकदार है?**

—प्रतिवादी 4

तनकी नम्बर 6 उक्त तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था नामानतकरण की अपील नही की गई है। किन्तु नामान्तकरण एक फिक्सल प्रोसेडिंग होने से नामान्तकण की अपील की समय सीमा निर्धारण नही होने से वादी के तर्क से हम सहमत है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार पूर्व बेचान के आधार पर समाप्त होने एवं वाद के बेचान प्रारंभतः शून्य होने से प्रतिवादी इस तनकी को साबित नही कर पाया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी गण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

7. **आया प्रतिवादी 4 प्रस्तुत दावा खारिज करवाने की अधिकारिता रखते है?**

—प्रतिवादी—

तनकी नम्बर 7 जिला कलेक्टर को पक्षकारान नही बनाया गया है प्रतिवादी को यह तनकी फोरमल है। पक्षकारन के बीच विवाद एवं राजकीय हित नही होने से जिला कलेक्टर को पक्षकारा बनाया जाना आवश्यक नही है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी गण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

8. अन्य अनुतोष

तनकी नम्बर 8 वादी द्वारा अपना अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य एवं माननीय जिलाधीश टोंक के निर्णय के परिपेक्ष्य में बखूबी साबित होता है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी गण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया एवं पत्रावली में संलग्न कराये दस्तावेज, गवाह,/ सबूतों एवं वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के उरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि वादी ने ग्राम गोपीपुरा के खसरा नम्बर 2/2 रकबा 15 बीघा आराजी को प्रतिवादीगण गुलाम नबी पुत्र मुनीर खां से 19.06.72 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से माध्यम से क्रय की थी। जिसका नामान्तरण राजस्व अधिकारियों द्वारा भरा गया था किन्तु कब्जे में क्रेता का नाम नही होने के आधार पर खारिज किया गया था। जबकि पंजीबद्व दस्तावेज जिसमे क्रेता को कब्जा संभलाया जाना का स्पष्ट उल्लेख होता है, का नामान्तरण कब्जे के आधार पर खारिज नही किया जा सकता। वादी द्वार पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2023–26 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी सेटलमेंट से पूर्व खातेदारी थी। उसी आधार पर प्रतिवादी न. 1 ने वादी को पंजीबद्व दस्तावेज से बेचान किया था एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही की थी। प्रतिवादी द्वारा सेटलमेंट से पूर्व बेचान के समय विवादित आराजी की गैर खातेदारी का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी के विरूद्व सिविल न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के सेल एग्रीमेंट के आधार पर स्पेसीफिक परफोरमेंस का दावा खारिज होने के बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्व में विवादित आराजी के बेचान दिनांक 19.6.72 से खातेदारी अधिकारी समाप्त होने के बाद भी प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पुनः 30.10.2001 को बेचान वोईड एव प्रारम्भतः शुन्य होने से, पंजीबद्व दस्तावेज के नामान्तरण की कोई समय सीमा निर्धारित नही होने एवं पंजीबद्व दस्तावेज में कब्जा क्रेता को पंजीयन के समय संभलवाने से वादी ने वाद को बखूबी साबित किया है। अतः वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को विवादित आराजी में मजामहत नही करने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फेशल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 25.09.2019 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

देवली व अलजाम श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

1. सगीर हुसैन पुत्र री नसीर खां जाति मुसलमान निवासी दौलता मोड़ माधोसिंहपुरा तह. देवली (टोंक)

1/1. फजलइलाही पुत्र सगीर हुसैन आयु 35 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. चांदपोल, जयपुर तह. व जिला जयपुर

1/2. शकीला पुत्री सगीर हुसैन आयु 52 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. नयाबास चुरू तह. व जिला चुरू

1/3. पेमिदा पत्नी सगीर हुसैन आयु 48 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. चांदपोल, जयपुर तह. व जिला जयपुर

1/4. शबनम पुत्री सगीर हुसैन आयु 46 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. चांदपोल, जयपुर तह. व जिला जयपुर

1/5. सुफिया पुत्री सगीर हुसैन आयु 43 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. चांदपोल, जयपुर तह. व जिला जयपुर

1/6. हसीना पत्नी सगीर हुसैन आयु 41 वर्ष जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा हाल नि. चांदपोल, जयपुर तह. व जिला जयपुर

–वादीगण–

बनाम

1. गुलाम नबी पुत्र मुनीर खां जाति मुसलमान नि. माधोसिंहपुरा तह. देवली जिला टोंक हाल नि. जयपुर
2. शोकत अली पुत्र मोहम्मद युसुफ खां निवासी देवली तह. देवली
3. तहसीलदार देवली
4. श्रीमती जमीला बेगम बेवा मोहम्मद युसुफ मुसलमान निवास देवली तह.देवली(टोंक)

– प्रतिवादीगण –

दावा उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज विभाजन स्थायी निषेधाज्ञा,

मुकदमा नं. 27 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री प्रेम चन्द जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री विरेन्द्र जैन प्रतिवादीग संख्या 4 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्व में विवादित आराजी के बेचान दिनांक 19.6.72 से खातेदारी अधिकारी समाप्त होने के बाद भी प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पुनः 30.10.2001 को बेचान वोईड एव प्रारम्भतः शुन्य होने से, पंजीबद्व दस्तावेज के नामान्तरण की कोई समय सीमा निर्धारित नही होने एवं पंजीबद्व दस्तावेज में कब्जा क्रेता को

पंजीयन के समय संभलवाने से वादी वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में मजामहत नही करने हेतु पांबद किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 09 सन् 2019 को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त .....

ओहदा .....

मुददई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए